"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 148-अ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 जून 2003—ज्येष्ठ 26, शक 1925

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जून 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ-21-3/2001/नौ/55.—छत्तीसगढ़ सह-चिकित्सकीय परिषद् अधिनियम 2001 की धारा 32 के प्रावधान के तहत तथा राज्य शासन की पूर्वानुमति से छत्तीसगढ़ सह-चिकित्सकीय परिषद् द्वारा सह-चिकित्सकीय संस्थाओं की स्थापना हेतु न्यूनतम मापदण्ड विहित करने के लिये विनियम बनाये गये हैं, जो सर्वसाधारण की सूचना हेतु एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उप-सचिव.

छत्तीसगढ सह चिकित्सकीय परिषद

सह चिकित्सकीय संस्थाओं की स्थापना हेतु विनियम – 2003

छत्तीसगढ सह चिकित्सकीय परिषद अधिनियम 2001 (कमांक 25 सन – 2001) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से छत्तीसगढ़ सहचिकित्सकीय परिषद, एतदद्वारा, सहचिकित्सकीय पाठयकम संचालित करने संस्थान स्थापित करने हेतु न्यूनतम मापदण्ड विहित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है :–

1. (1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम "सहचिकित्सकीय संस्थाओं की स्थापना के लिये विनियम 2003 होगा ।

(2) यह राजपत्र मे इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पात्रता मापदण्ड :– निम्नलिखित श्रेणी के आवेदक आवेदन करने के पात्र होगें :–

(1) राज्य शासन/केन्द्र शासन के अधीन स्वशासी संस्थाएं ।

(2) समितियां जो कि छत्तीसगढ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का कं. 44) के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

परंतु राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग या इस विभाग के अधीनस्थ स्वशासी संस्थाओं को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगीं।

3. संस्थान की स्वीकृत प्रवेश क्षमता 50 प्रशिक्षार्थी प्रति पाठ्यकम प्रतिवर्ष होगी।

4. आवेदक के पास निम्नानुसार सुविधाएँ उपलब्ध होना आवश्यक हैं–

(1) सहचिकित्सकीय पाठ्यकम संस्थान की स्थापना हेतु कम से कम दो एकड़ की भूमि आवश्यक होगी जिसका आधिपत्य एवं स्वामित्व आवेदक के पास हो।

(2) कैंम्पस :– संस्थान का शैक्षणिक अस्पताल एवं विद्यालय एक ही परिसर मे होना चाहिए तथा यह कम से कम पचास बिस्तरों वाला सर्वसुविधायुक्त अस्पताल हो।

(3) प्रशासनिक खण्ड :– प्रशासनिक खण्ड के लिए आवश्यक होगा,

क.	प्राचार्य कक्ष	–	20 वर्ग मीटर
ख.	कार्यालय	–	50 वर्ग मीटर
ग.	स्टाफ कामन रूम टायलेट सहित	–	20 वर्ग मीटर

(4) केन्द्रीय पुस्तकालय :– 40 वर्ग मीटर का होगा जिसमे कम से कम 20 प्रशिक्षार्थियो के बैठने की व्यवस्था होगी, तथा प्रत्येक पाठयकम की कम से कम 30 (तीस) पुस्तकें होना चाहिए । पुस्तकों को प्रदर्शित करने हेतु पर्याप्त स्थान एवं रोशनी तथा हवा की व्यवस्था भी पर्याप्त होना चाहिये ।

(5) व्याख्यान कक्ष :– कम से कम दो गैलरी टाइप व्याख्यान कक्ष होना चाहिए जिसमें प्रत्येक कक्ष में ओ.एच.पी, स्लाइड प्रोजेक्टर आडियो विजुअल हेड इत्यादि की सुविधाए हो 50 प्रशिक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था रहेगी।

(6) विषय से सम्बन्धित प्रदर्शन कक्ष, ट्यूटोरियल कक्ष और यदि आवश्यक हो म्यूजियम भी होना चाहिए ।

(7) संस्थान के पास विषय से सम्बन्धित 50 प्रशिक्षार्थियों के लिए आवश्यक उपकरण होना चाहिए।

(8) 50 प्रशिक्षार्थियों के बैंठनें की क्षमता वाला 75 वर्ग मीटर का एक परीक्षा हाल होना चाहिए।

(9) विद्युत व्यवस्था:– सतत् विद्युत की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त संस्था के पास जेनरेटर तथा यू.पी.एस. भी होनी चाहिए।

(10) पेयजल:– स्टाफ एवं प्रशिक्षार्थियों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो।

(11) छात्रावास:– 15 लडके एवं 15 लडकी प्रशिक्षार्थियों हेतु पृथक – पृथक छात्रावास की व्यवस्था हो।

(12) स्टाफ:– संस्थान में प्राचार्य के अतिरिक्त प्रत्येक पाठ्यकम के लिए कम से कम तीन व्याख्याता होना चाहिए।

(13) अन्य स्टाफ:– निम्नलिखित अन्य स्टाफ होंगे :–

1. प्रशासनिक अधिकारी
2. कैशियर
3. लेखापाल
4. स्टेनोटाइपिस्ट
5. उच्च श्रेणी लिपिक
6. निम्न श्रेणी लिपिक
7. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी – आवश्यकतानुसार

(14) पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

(15) कॉमन हाल जिसमें टेलीविजन सेट, इनडोर गेम्स आदि की सुविधा होनी चाहिए।

(16) संस्थान प्रारम्भ करने की अनुमति उन्हीं संस्थाओं को दी जावेगी, जहाँ पर छत्तीसगढ़ सहचिकित्सकीय परिषद अधिनियम 2001 (कमांक 25 सन 2001) की अनुसूची में दर्शित कम से कम पॉच पाठ्यकमों को सुचारू रूप से संचालित करने की सुविधा हों। परन्तु यह आवश्यक नहीं हैं कि संस्थान सभी पाठ्यकमों को संचालित करें।

5. एक ही स्थान पर दो या उससे अधिक संस्थाएं निरीक्षण पश्चात् समान रूप से सुसज्जित पाई जावें, इन परिस्थितियों में जो आवेदन पहले प्राप्त हो, अथवा एक ही तिथि को प्राप्त होते हैं, तो प्रथम आवेदित संस्था को प्राथमिकता दी जावेगी।

6. आवेदक संस्थाओं के निरीक्षण हेतु छत्तीसगढ़ सहचिकित्सकीय परिषद शासन की पूर्वानुमति से तीन से पॉच सदस्यों का निरीक्षण दल गठित करेगा जिसमें विषय से संबंधित कम से कम एक विशेषज्ञ आवश्यक रूप से सम्मिलित होंगे।

7. आवेदन पत्र सचिव, छत्तीसगढ़ सहचिकित्सकीय परिषद के पास उपलब्ध होंगे। जिसे रु 1000/– (एक हजार रुपये) के एकाउन्ट पेयी, बैंक ड्राफ्ट जो सचिव छत्तीसगढ़ सहचिकित्सकीय परिषद के नाम से रायपुर में देय होगा, जमा कर [illegible] किया [illegible]

आवेदक को आवेदन पत्र के साथ सचिव, छत्तीसगढ़ सहचिकित्सकीय परिषद रायपुर के पक्ष में रू. 50,000/– (रू. पचास हजार) का बैंक ड्राफ्ट/डी.डी. संलग्न करना होगा, जो वापसी योग्य नहीं होगी।

परिषद अधिक से अधिक तीन बार निरीक्षण करेगा। यदि कोई आवेदक इससे अधिक निरीक्षण की मांग करता है, तब परिषद विचार कर सकता है लेकिन इस स्थिति में प्रति निरीक्षण रू.15,000/– अतिरिक्त निरीक्षण शुल्क का भुगतान करना होगा।

10. अनुमति एवं मान्यता संस्थान को सिर्फ एक वर्ष के लिए दिया जायेगा। इसके नवीनीकरण के लिए संस्थान को प्रति वर्ष परिषद् द्वारा राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना होगा।

11. संस्थान प्रारम्भ करने की अनुमति मान्यता मिलने पर आवेदक संस्थान को परिषद के पक्ष में पॉच लाख रूपये की बैंक गारंटी देना होगा।

12. जो सहचिकित्सीय संस्थान वर्तमान में शासन की सशर्त अनुमति या बिना अनुमति के आधार पर चल रहे हैं उन्हें भी नवीन संस्थानों के लिए निर्धारित प्रकिया अनुसार ही मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा। यदि ये संस्थाए मान्यता प्राप्त करने में असफल रहती हैं तब वे यह पाठ्यकम संचालित नहीं कर सकेंगे।

13. परिषद् द्वारा आवेदन पत्र का मूल्य, आवेदन शुल्क, पंजीयन शुल्क तथा नवीनीकरण इत्यादि का निर्धारण तथा संशोधन राज्य, सरकार की पूर्व अनुमति से किया जा सकेगा।

14. परिषद् राज्य शासन की पूर्वानुमति तथा अनुमोदन से इस विनियम में संशोधन कर सकेगी।

रायपुर, दिनांक 16 जून 2003

क्रमांक एफ-21-3/2001/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-21-3/2001/नौ/55, दिनांक 16 जून 2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उप-सचिव.

Raipur, the 16th June 2003

NOTIFICATION

No. F-21 – 3 /2001/IX/55 – By virtue of the provisions of Section 32 of the Chhattisgarh Sah-Chikitsiya Parishad Adhiniyam 2001 and with the previous sanction of the State Government, the Chhattisgarh Paramedical Council has made Regulations to prescribe the minimum standard for establishment of Paramedical Institutions in the State, which are hereby published for information of the common people.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRAMOD SINGH, Deputy Secretary